# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 300 सन 2018

अनवान :–

1. रायसिह पुत्र जगराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र भादरराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. साजन पुत्र मनफुल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. दनीराम 3 पोलाराम 4 रामचन्द्र 5 जीतराम 6 गुडडी 7 तीजा 8 लिलो पुत्र/पुत्रीया जगराम पुत्र पुरखाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
9. लालुराम 10 सुखराम 11 सिलोचना 12 रूकमा पि0 जयमल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
13. किताबों पत्नी धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
14. पवन 15 सुभाष 16 मंजु पि0 धर्मपाल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
17. विनोद 18 मंजु 19 संजु पि0 बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
20. किश्तुरी पत्नी बृजलाल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
21. हुकमाराम 22 वीरपाल 23 गोरा पि0 भादर जाति नायक निवासी ढण्ढेला।
24. वेदप्रकाश 25 राजाराम 26 केसर पि0 रतीराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला
27. गिरदावरी पत्नी रतिराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
28. अमरसिह 29 हनुमान 30 धर्मपाल 31 रामकुमार 32 समेतरा 33 निरमा 34 रूकमा 35 राणी 36 सिला पि0. मनफुल जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
37. सुमन 38 सुनिल 39 शारदा 40 अनिल पि0 खिवणी जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
41. विरमाराम 42 जैता 43 निमा 44 राजो 45 धनकोरी 46 पाली पि0 मीरा जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
47. सिमा 48 कालुराम 49 भोगी 50 रानी 51 सतवीर 52 सतपाल 53 विनोद 54 किरशन कुमार 55 मंजू पि0 दयाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
56. चन्द्रकला पत्नि दयाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
57. साहबराम 58 कालूराम 59 सावत्री 60 हेतराम पि0 मेधाराम जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
61. प्रकाश 62 लिलु 63 सिलो 64 भालाराम पि. शान्ति जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
65. मिश्रलाल 66 राकेश पि0 गिरदावारी जाति नायक निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :– 20.02.2019**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 34 के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 बीधा साबिका खसरा न0 81 की 8.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि जो पुरखा पुत्र ईशर जाति नायक के नाम से दर्ज थी।

रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 बीधा साबिका खसरा न0 81 की 8.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 330 की 28.02 बीधा खसरा न0 336 की 3 बिश्वा कुल 28.05 बीधा भूमि में परिर्वतन की जाकर पैमुद की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से पुरखा पुत्र ईशर के कब्जा काश्त में थी इसलिये वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवा कर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 310/288 के खसरा न0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

330 की 74.0820हैक खसरा न0 336 की 0.380हैक कुल 7.1200हैक भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण के पिता पुरखा पुत्र ईशर एवं उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है एवं वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 उनपके विधिक उतराधिकारी है जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है पुरखा के विधिक अधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 310/288 के खसरा न0 330 की 74.0820हैक खसरा न0 336 की 0.380हैक कुल 7.1200हैक भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 66 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला की जमाबन्दी सम्वत 2010 के खाता संख्या 34 में खसरा न0 51 की 15.00 बीधा एवं 81 की 8. बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि पुरखा वल्द ईशर के नाम से दर्ज है एवं उक्त भूमि वर्तमान खसरा न0 330 की 28.02 बीधा एवं खसरा न0 336 की 3 विश्वा मे पैमुद की गई है वर्तमान में रोही मौजा ढण्ढेला उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 34 के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 बीधा साबिका खसरा न0 81 की 8.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि जो पुरखा पुत्र ईशर जाति नायक के नाम से दर्ज थी।

रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 बीधा साबिका खसरा न0 81 की 8.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 330 की 28.02 बीधा खसरा न0 336 की 3 बिश्वा कुल 28.05 बीधा भूमि में परिर्वतन की जाकर पैमुद की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से पुरखा पुत्र ईशर के कब्जा काश्त में थी इसलिये वाद भूमि वादीगण के पिता के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवा कर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 310/288 के खसरा न0 330 की 74.0820हैक खसरा न0 336 की 0.380हैक कुल 7.1200हैक भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला की जमाबन्दी सम्वत 2010 के खाता संख्या 34 में खसरा न0 51 की 15.00 बीधा एवं 81 की 8. बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि पुरखा वल्द ईशर के नाम से दर्ज है एवं उक्त भूमि वर्तमान खसरा न0 330 की 28.02 बीधा एवं खसरा न0 336 की 3 विश्वा मे पैमुद की गई है वर्तमान में रोही मौजा ढण्ढेला उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अराजी काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 34 के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 बीधा एवं खसरा न0 81 की 8.00 बीधा कुल 23.00 बीधा भूमि वादीगण के पूर्वज पुरखा पुत्र ईशर के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2015 , 2015 से 2017 ,2017 से 2019 से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 51 की 15.00 एवं खसरा न0 81 की 8.00 बीधा के हाल खसरा न0 330 की 28.00 बीधा एवं खसरा न0 336 की 0.03 बिश्वा कुल 28.05 बीधा में पैमुद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 310/288 के खसरा न0 330 की 7.0820हैक , खसरा न0 336 की 0.380हैक कुल 7.1200हैक वादीगण के पूर्वज पूरखा वल्द ईशर के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादीगण के पूर्वज पुरखा वल्द ईशर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र जगराम , भादरराम , मनफुल , मीरा , शान्ति हुए। जिनके जायज वारिसान वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है।

वादीगण का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा ढण्ढेला उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में जारी किये गये है वाद उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वाद इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 310/288 के खसरा न0 330 की 7.0820हैक खसरा न0 336 की 0.380 हैक कुल 7.1200हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिषत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 66 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। मृतक पुरखा पुत्र ईशर का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Sanjay

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official